न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला—दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज मनीषा बनाम तहसीलदार मु.नं. 15/23 (विविध)	नम्बर व अहकाम जो की तामील में
	लोक अदालत दिनांक 22.12.24 को पेश होवे उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
22.12.24	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। पक्षकारान की सहमति एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
15/23	25.05.23	22.12.24

बउनवान

1. नगीना पत्नी मूलचन्द कोली निवासी ग्राम लिडपुरी तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. सोनबाई पत्नी मोतीराम बैरवा निवासी ग्राम वीरासना तहसील मण्डावर जिला दौसा।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।

...अप्रार्थी

उपस्थित :

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री शिवदत्त जैमिनी।
2. अप्रार्थी – तहसीलदार मण्डावर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

आज पत्रावली **राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा** में पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण वाके ग्राम मूनापुरा, तहसील मण्डावर दौसा में स्थित आराजी भूमि खाता संख्या नई 196 (पुराना 175) खसरा संख्या 394/2696 रकबा 1.26 हैक्टे. के सम्पूर्ण रकबे पर खातेदार काबिज काश्त है जिसका लगान नियमित रूप से अदा करते चले आ रहे है एवं इस भूमि की जरिये विकयपत्र खरीद करने के बाद वर्ष 2019 से कब्जा काश्त हो कर उपयोग लेते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि के सटवा पूर्व में आम रिकॉर्डेड रास्ता, पश्चिम में खसरा संख्या 394, दक्षिण में खसरा संख्या 391 एवं उत्तर में खसरा संख्या 394 स्थित है। उक्त आराजी की सीमा को लेकर विवाद बना आ रहा है। कई बार सीमाज्ञान करने की स्थिति में आराजी की नाप स्पष्ट नहीं होने से प्रार्थीगण अपने हिस्से की पूर्ण आराजी पर कब्जे काश्त नहीं हो पाये हैं। प्रार्थीगण को अंदेशा है कि अन्य दीगर व्यक्तियों द्वारा इनकी काफी आराजी भूमि के उत्तर एवं दक्षिण में काफी हिस्से पर अवैध कब्जा हो चुका है। प्रार्थीगण चाहते हैं कि इनके कब्जे काश्त की आराजी भूमि की सीमा का निर्धारण हो जावे ताकि किसी अन्य व्यक्ति से आराजी भूमि के हिस्से को लेकर कोई वाद विवाद प्रार्थीगण एवं इनके परिवार को ना रहे। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार मण्डावर को पत्थरगढ़ी के लिए निवेदन किया परन्तु पत्थरगढ़ी नहीं की गई। उक्त आराजी की सीमा तय नहीं होने से अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लेने से उक्त आराजी की को नुकसान होना लाजिम है। प्रार्थीगण को वर्तमान एवं भविष्य में कोई अपूर्तनीय क्षति उक्त आराजी भूमि की सीमा को लेकर घट सकती है। प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद एवं उचित न्यायालय शुल्क अनुसार चस्पा किया गया है। उक्त आराजी ग्राम मुनापुरा, तहसील मण्डावर में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

अतः निवेदन है कि उक्त आराजी भूमि खसरा संख्या 394/2696 ग्राम मुनापुरा तहसील मण्डावर में स्थित आराजी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब पत्रांक क्रमांक भू.अ./2024/616 दिनांक 31.05.24 द्वारा उक्त खसरे पर पत्थरगढी करने हेतु अपनी अनापत्ति जाहिर की। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार, ग्राम मुनापूरा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नंबर 394/2696 रकबा 1.26 हैक्टे. के प्रार्थीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार है। उक्त आराजी का दिनांक 01.06.22 को तहसीलदार मण्डावर के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है एवं तहसीलदार मण्डावर द्वारा द्वारा उक्त खसरे पर पत्थरगढी करने हेतु अपनी अनापत्ति जाहिर की। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सहमति के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम मुनापूरा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 394/2696 रकबा 1.26 हैक्टे. भूमि के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक हल्दैना को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियूक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक हल्दैना मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में सुनाया गया।

सदस्य
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

Scanned with OKEN Scanner